


आज्ञा पत्र

8-25

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आयाज विलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6-7जे तक बार बार दिनाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अव्ययता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपीलान्त अपीलान्त एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय एवं प्रमाण सुनाया गया । प्रकरण फैसला हुनार होकर नंबर से अपीलान्त बाद तरतीब तकमील दाखिल अंतर हो।



सुप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सांकर